

कावा 95/21

आम्ही लाल वनाग वखल

हुक्म या कावा गाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

नम्बर
अहकाम
की तारीख

12⁰⁴/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आपाज वगैरह मई जाने के बख्तरद वादीगण एवं वादीगण खर्चि० अनुपस्थित रहे। वादीगण एवं अधिवक्ता अपने द्वारा प्रस्तुत पाद की आगे उलाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादी का पाद अल्प हजारों एवं अल्प पेंसों में खारिज किया गया है। निर्णय आज दिनांक 12/04/23 को सुबे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली के शकल सुनार होकर बाद लेख भण्डार हो

उप जिला कलक
अध्याप

